छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा एकादश सत्र अंक-22

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 अप्रैल, 2017

(वैशाख 8, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री फूलचंद जैन एवं सुकमा जिले के बुरकापाल में हुए नक्सली हमले में शहीद जवानों के प्रति शोकोद्गार व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री-डॉ.रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष-श्री टी.एस.सिंहदेव, श्री अजय चंद्राकर-संसदीय कार्य मंत्री, श्री पुन्नूलाल मोहले-खाद्य मंत्री, श्री तोखन साहू, श्री मोतीराम चंद्रवंशी-संसदीय सचिव ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.18 बजे स्थगित होकर 11.28 बजे पुनः प्रारंभ हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री द्वारा कमीशन के संबंध में दिये गए बयान एवं सुकमा जिले के बुरकापाल-चिंतागुफा में नक्सली हमले संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की ।

2. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा सुकमा जिले के बुरकापाल-चिंतागुफा में सी.आर.पी.एफ. के 25 जवानों के नक्सली हमले में शहीद होने के संबंध में 25 सदस्यों की ओर से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं में से श्री टी.एस.सिंहदेव, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त होने से पढ़ी गई।

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 3.00 बजे का समय निर्धारित किया।

3. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (क्रमांक 8 सन् 2017)

(1) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (क्रमांक 8 सन् 2017) पुर:स्थापित किया।

(2) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (क्रमांक 8 सन् 2017) पर विचार किया जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, राजमहंत सांवलाराम डाहरे,

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री मोहन मरकाम, श्रीचंद सुंदरानी,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री बृहस्पत सिंह, डॉ. खिलावन साहू, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, श्री अमित अजीत जोगी,

(माननीय सभापति ने माल एवं सेवा कर विधेयक पर विचार होने व पारण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस. सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 174 तथा अनुसूची 1, 2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (क्रमांक 8 सन् 2017) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(2.47 से 3.16 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

4. स्थगन प्रस्ताव (क्रमश:)

स्थगन प्रस्ताव पर श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा प्रारंभ की।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री शिवरतन शर्मा (जारी)

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

5. बहिर्गमन

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य द्वारा आरोपात्मक कथन किये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि जब स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य चले गये हैं तो स्थगन पर चर्चा किस बात की ?

6. व्यवस्था

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि- मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया आरोपात्मक कथन नहीं करें और जो व्यक्ति इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनके नामों का आरोपात्मक रूप से उल्लेख नहीं करें।

मेरा प्रतिपक्ष के सदस्यों से अनुरोध है कि कार्यवाही में हिस्सा लें और मेरी अनुमति से ही सभा में बोलें।

स्थगन प्रस्ताव चर्चा हेतु मैंने ग्राह्य कर लिया है। अब यह विषय वस्तु सदन की है अत: चर्चा निरंतर जारी रहेगी।

7. स्थगन प्रस्ताव (क्रमश:)

श्री शिवरतन शर्मा,

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य सभा में उपस्थित हुए।)

सर्वश्री कवासी लखमा, अवधेश सिंह चंदेल, अमरजीत भगत,

माननीय सभापति ने सदन की सहमति से सूचित किया कि - छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 58 (1) के अनुसार स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ हो उससे दो घण्टे बीत जाने पर यदि वाद विवाद पहले ही समाप्त न हो चुका हो तो वह आप ही समाप्त हो जायेगा तद्नुसार 5.10 बजे तक का समय स्थगन प्रस्ताव के लिये है।

किंतु विषय की महत्ता पर विचार कर स्थगन प्रस्ताव पर विचार रखने हेतु इच्छुक सदस्यों द्वारा चर्चा में हिस्सा लेने तक मैं स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हेतु समयावधि में वृद्धि करता हूं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री मोहन मरकाम, श्री केदार कश्यप-आदिम जाति विकास मंत्री,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री बृहस्पत सिंह, अमित अजीत जोगी, डॉ. विमल चोपड़ा,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री महेश गागड़ा-वन मंत्री, श्रीमती देवती कर्मा,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

8. नियम 167 (1) के अंतर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 167 (1) के परन्तुक के अंतर्गत -

(1) माननीय सदस्य, श्री देवजी भाई पटेल द्वारा प्रस्तुत सदन की अवमानना संबंधी सूचना क्रमांक 31/2017, दिनांक 23/2/2017,

(2) माननीय सदस्य, श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 32/2017, दिनांक 27/2/2017,

(3) माननीय सदस्य, श्री सत्यनारायण शर्मा एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री टी.एस.सिंहदेव द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 33/2017, दिनांक 27/2/2017,

(4) माननीय सदस्य, श्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 34/2017, दिनांक 1/3/2017,

(5) माननीय सदस्य, श्री मोहन मरकाम द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 35/2017, दिनांक 1/3/2017,

(6) माननीय सदस्य, श्री राजेन्द्र कुमार राय द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 36/2017, दिनांक 1/3/2017,

(7) माननीय सदस्य, श्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 37/2017, दिनांक 9/3/2017,

(8) माननीय सदस्य, श्री राजेन्द्र कुमार राय द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना क्रमांक 38/2017, दिनांक 28/3/2017

को उन्होंने विचारोपरान्त कक्ष में ही अग्राह्य कर दिया है।

9. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्‌बोधन

छत्तीसगढ़ राज्य की चतुर्थ विधानसभा के ग्यारहवें सत्र का आज अंतिम दिवस है। विधान सभा का वर्तमान बजट सत्र दिनांक 27 फरवरी, 2017 से माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से आरंभ हुआ । सभा की सहमति से 31 मार्च से 27 अप्रैल तक की अवधि को अवकाश घोषित करते हुए आज दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर विधेयक, 2017 पर विचार एवं पारण के लिए बैठक निर्धारित की।

इस सत्र में सभी महत्वपूर्ण विषयों पर समग्र रूप से चर्चा हुई, जिसका श्रेय आप समस्त माननीय सदस्यों को है । सत्र के संचालन में सहयोग के लिये सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं सभी माननीय मंत्रिगण, माननीय उपाध्यक्ष, सभापति तालिका के माननीय सदस्य सहित पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ ।

इस सत्र के प्रथम दिवस पूज्य गुरूदेव श्री श्री रविशंकर जी का विधान सभा आगमन हुआ और उन्होंने हम सभी को अपने प्रेरणादायी उद्‌बोधन से अनुग्रहित किया । मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूज्य श्री श्री जी ने जो मार्गदर्शन दिया, उनका अनुकरण कर हम लाभान्वित होंगे।

इस सत्र में संसदीय कार्यों के साथ-साथ एक-दो अवसर ऐसे भी उत्पन्न हुए जब कुछ माननीय सदस्यों ने इस सभा एवं परिसर का उपयोग राजनीतिक कार्यों के लिए किया। दिनांक 1 मार्च को जहां सभा एवं परिसर में गंगाजल छिड़कने जैसा कृत्य किया, जिसके विरूद्ध माननीय संसदीय कार्य मंत्री की ओर से छत्तीसगढ़ विधान सभा की इतिहास में पहली बार सदस्यों के विरूद्ध निन्दा प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । इसके साथ ही पूर्ण शराब बंदी की मांग को लेकर दो सदस्य कुछ दिनों तक ऐसे कार्य करते रहे, जो इस परिसर एवं सभा में नहीं किए जाने वाले कार्यों की श्रेणी में आते हैं, जिसके लिए उन्हें आसंदी के द्‌वारा निर्देश दिए गए एवं पश्चात् उक्त कृत्य के लिए उन्हें निलम्बित भी किया गया । मैं समझता हूं कि इस चतुर्थ विधान सभा के लिए निर्वाचित माननीय सदस्य अब परिपक्व की श्रेणी में आ गए हैं, उनसे यदा-कदा भी ऐसे कृत्यों से अपने आपको विरत रखने की अपेक्षा, मैं माननीय सदस्यों से करता हूं ।

आप सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि छत्तीसगढ़ विधान सभा ने देश की विधान सभाओं में अपना एक अलग स्थान बनाया है । यह स्थान आप सभी की संसदीय कर्तव्यों एवं परम्पराओं में विश्वास के कारण बना है । किसी उच्च मुकाम को पाकर, उस मुकाम को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है । आप सभी माननीय सदस्यों के अपने संसदीय कर्तव्यों के निर्वहन से छत्तीसगढ़ विधान सभा ने कम समय में देश में वह स्थान बनाया है, जिसे बहुत कम विधान सभाओं को प्राप्त है, इस स्थान को बनाए रखना, हम सबकी जिम्मेदारी है ।

छत्तीसगढ़ विधान सभा के पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्य, राज्य के विकास एवं लोक हित के लिए अपने सामंजस्यपूर्ण कार्य के लिए प्रतिबध्द रहते हैं । इस सत्र में भी इसकी एक झलक

दिनांक 28 मार्च को देखने को मिली, जब शासन की ओर से प्रस्तुत तीन संशोधन विधेयक - छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक एवं छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला (संशोधन) विधेयक, सर्वसम्मति से पारित किए और आज छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर विधेयक, 2017 पारित कर भविष्य में कर प्रणाली को देश एवं राज्य के लिए सुदृढ़ बनाने में अपने महत्वपूर्ण दायित्व को पूर्ण किया ।

इस सत्र में दिनांक 27 मार्च 2017 को माननीय राज्यपाल जी के कर कमलो से "उत्कृष्टता अलंकरण समारोह" माननीय राज्यपाल जी के मुख्य आतिथ्य में गरिमामय रूप से संपन्न हुआ, इस समारोह में वर्ष 2014, 2015 एवं 2016 के लिये चयनित उत्कृष्ट विधायक, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार, एवं उत्कृष्ट इलेक्ट्रानिक मीडिया रिपोर्टर अलंकृत किये गये, मैं पुन: सभी पुरस्कृतजनों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।

अब मैं इस बजट सत्र में सदन की कार्यवाही के सांख्यिकी आंकड़ों से आपको अवगत कराना चाहूंगा -:

इस सत्र में कुल 22 बैठकों में माननीय राज्यपाल के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर 3 घंटे 35 मिनट चर्चा सहित कुल लगभग 144 घण्टे 25 मिनट चर्चा हुई । इस सत्र में प्रश्नों की 3145 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें ग्राह्य तारांकित प्रश्न 1037 एवं अतारांकित प्रश्नों की संख्या 988 रही। इस सत्र में नियम 139 के अंतर्गत चर्चा हेतु कुल 5 सूचनायें प्राप्त हुई। इस सत्र में अशासकीय संकल्प की 30 सूचनायें प्राप्त हुयी, जिनमें से 4 विषयों पर संकल्प ग्राह्य हुये एवं सभा में चर्चा उपरांत 2 संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुए तथा एक संकल्प अस्वीकृत हुआ तथा एक संकल्प व्यपगत हुआ ।

इस सत्र में कुल 344 स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से 3 विषय से संबंधित 107 स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को सभा में पढ़ी जाकर शासन के वक्तव्य के पश्चात् अग्राह्य किया गया । एक विषय से संबंधित 25 सूचनाओं को ग्राह्य कर चर्चा की गई । कक्ष में अग्राह्य स्थगन प्रस्तावों की संख्या 196 रही। इस सत्र में शून्यकाल की 138 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से 56 सूचनायें ग्राह्य व 82 सूचनाएं अग्राह्य रही।

इस सत्र में ध्यानाकर्षण की 594 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें 138 सूचनायें ग्राह्य व 423 सूचनाएं अग्राह्य रही तथा 33 सूचनाएं नियम 267 -क में परिवर्तित की गई । । इस सत्र में कुल 8 विधेयक लाये गये एवं सभी विधेयक पारित हुए। इस सत्र में विभिन्न विभागों से प्राप्त कुल 32 प्रतिवेदन पटल पर रखे गए । वहीं 5 याचिकाएं भी सदन के पटल पर रखी गई ।

वित्तीय कार्यों के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के तृतीय अनुपूरक अनुमान पर 3 घण्टे, वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा में 10 घण्टे 56 मिनट का समय लगा जबकि अनुदान की माँगों पर 64 घण्टे 43 मिनट चर्चा हुई तथा विनियोग विधेयक पर 6 घण्टे 35 मिनट चर्चा हुई।

इस सत्रकाल में माननीय सदस्यों ने पुस्तकालय, संदर्भ एवं अनुसंधान सेवा का उपयोग किया। सभा के कार्य के संबंध में पुस्तकालय से 168 साहित्य तथा संदर्भ शाखा से विभिन्न विषयों पर 121 संदर्भ उपलब्ध कराये गये । 25315 विजिटर्स ने विधान सभा की वेबसाइट का अवलोकन किया ।

शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र-छात्राओं एवं प्रतिनिधियों को मिलाकर कुल 4621 लोगों ने सदन की कार्यवाही का अवलोकन किया ।

आरंभ से लेकर आज दिनांक 28 अप्रैल, 2017 तक हमर छत्तीसगढ़ योजना के तहत् प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत/सहकारिता के लगभग 60325 जनप्रतिनिधियों ने विधान सभा का भ्रमण किया।

बजट सत्र, 2017 में 3691 पंचायत/सहकारिता जनप्रतिनिधियों द्वारा विधान सभा का भ्रमण किया गया तथा 17700 नागरिकों ने भी विधान सभा की कार्यवाही का अवलोकन किया।

मैं पत्रकार दीर्घा के सभी पत्रकार बंधुओं को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रभावी रूप से सत्रकाल में सदन से संबंधित समाचारों से आम जनता को अवगत कराया।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव सहित ऐसे समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का जिनका प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहयोग रहा तथा राज्य शासन के मुख्य सचिव सहित समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्विघ्न सत्र संपन्न कराने में सहयोग देने के लिये मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने उत्तरदायित्वों का गंभीरता से निर्वहन किया। जिला प्रशासन सहित सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों /कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि आपने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को पूरे सत्रकाल में कायम रखा। उनके समन्वित सहयोग से ही इस सत्र का सुचारू संचालन संभव हो सका।

परंपरा रही है कि सत्र समाप्ति के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि सदन को सूचित की जाती है, तद्नुसार आगामी मानसून सत्र अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में आहूत होने की संभावना है।

डॉ.रमन सिंह-मुख्यमंत्री, श्री टी.एस. सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष एवं श्री अजय चंद्राकर-संसदीय कार्य मंत्री ने भी इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त किए।

10. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान जन-गण्-मण की धुन बजाई गई)

रात्रि 8.32 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा